न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/83/2025	2025/103	06.03.2025	18.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. शिम्भू पुत्र खैरू जाति बलाई, नि0 डेरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—:निर्णयः—

तहसीलदार थानागजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन नियम, जिसके द्वारा अप्रार्थी शिम्भू पुत्र खैरू जाति बलाई के पक्ष में ग्राम डेरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 305 रकबा 0.25 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थी शिम्भू पुत्र खैरू जाति बलाई ग्राम डेरा तहसील थानागाजी को आराजी खसरा नम्बर 305 रकबा 0.25 है0 भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 248 स्वीकृति दिनांक 02.03.2005 के द्वारा गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आवंटित भूमि पर संवत 2064 से 2080 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है, पड़त भूमि दर्ज है तथा आवंटी द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों/नियमों की पालना न किये जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी/अप्रार्थी बहस के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित। वकील प्रार्थी (राजकीय अभिभाषक) की बहस सुनी गई। राज. अभि. की बहस पर चिन्तन—मनन किया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अंगारी दिनांक 27.12.2024 के अनुसार उक्त विवादित आवंटित आराजी खसरा नंबर 305 रकबा 0.25 है0 किस्म बंजड के आवंटी/अप्रार्थी शिम्भू पुत्र खैरू जाति बलाई सा. देह गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नंबर 305 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म बंजड पर आवंटी का कब्जा नहीं है एवं मौके पर सार्वजनिक बगीची एवं सड़क है। आवंटित भूमि पर संवत 2064 से 2080 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है एवं पड़त भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित खसरा नंबर 305 रकबा 0.25 है0 किस्म बंजड़ भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। प्रार्थी द्वारा दिए गए तथ्यों एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम डेरा, तहसील थानागाजी जिला अलवर स्थित हाल आराजी खसरा न0 305 रकबा 0.25 है0 किस्म बंजड़ भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (शिम्भू पुत्र खैरू जाति बलाई सा0 डेरा) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थी के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)